13.07.2023	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 द्वारा अपीलांट को अपनी कृषि भूमि मे आकर उसके खातेदारी कब्जाशुदा,	

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

खरीदशुदा, आधिपत्यशुदा भूमि से बेदखल करने हेतु दिनांक 22.02.2012 को आये। तब अपीलांटगण को जैर अपील निर्णय व डिक्री की जानकारी दिनांक 22.02.2013 को सर्वप्रथम हुई। अपीलांटगण द्वारा उपरोक्त प्रकरण मे संबधित पत्रावली की जांच की जाकर दिनांक 29.03.2023 को अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होकर सम्पूर्ण पत्रावली की नकल मांगने के पश्चात जैर अपील निर्णय व डिक्री की नकल दिनांक 29.03.2023 को प्राप्त हुई। उसके पश्चात अपीलांटगण द्वारा रूपये–पैसो की व्यवस्था कर अधिवक्ता से सम्पर्क किया। उसके पश्चात दिनांक 30.03.2023 को रामनवमी का अवकाश होने एवं दिनांक 01.04.2023 से 03.04.2023 तक शनिवार, रविवार एवं महावीर जयंति का अवकाश होने के कारण उक्त अपील हाजा न्यायालय के समक्ष दिनांक 04.04.2023 को प्रस्तुत की गई। अपीलांटगण द्वारा अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी जानबूझकर नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटण के सम्मन विधिवत तामिल नहीं हुए। जिससे अपीलांटगण को जैर अपील निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी। किन्तु जानकारी होने के 15 दिवस के भीतर उक्त अपील हाजा न्यायालय के समक्ष पेश की गई है। अत अपीलांट की अपील उपरोक्त परिस्थितियो को मद्देनजर रखते हुए अन्दर म्याद शुमार फरमाई जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को नकारते हुए निवेदन किया कि अपीलांटगण को जैर अपील निर्णय व

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

डिक्री की जानकारी निर्णय के समय से ही थी। किन्तु उसके बावजूद लंबे समय करीब 10 वर्षो बाद जानकारी के अभाव का बहाना बनाकर उक्त अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की गई है। हाजा न्यायालय द्वारा म्याद के बिन्दु को निस्तारित न कर म्याद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई है। अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील म्याद बाहर होने से खारिज फरमाई जावे।

<u>उभयपक्ष अधिवक्ताओ की प्रकरण मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमन अधिनियम पर बहस सुनी गई।</u> पत्रवली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.02.2013 को पारित की गई है तथा निर्णय पारित होने के 10 वर्ष पश्चात हस्तगत अपील प्रस्तुत की है तथा अपील को अन्दर म्याद शुमार करवाने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायंालय द्वारा आर0आर0टी0 2015 (1) पेज 232 भानूप्रतापसिह बनाम श्रीमति घनश्याम कुमारी व अन्य में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "परिसीमा अधिनियम 1963–धारा 5– सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 – धारा 96 – विलम्ब का शमन – अपील पेश करने के 271 दिनों का विलम्ब – विभाजन तथा कब्जा हेतु वाद – 271 दिनों के विलम्ब के लिये सम्याभासी कारण नही बताया गया। मियाद बाधित होने से अपील खारिज की गई।" इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर0आर0टी0 2014 (2) पेज 1331 में प्रतिपादित किया कि परिसीमा अधिनियम 1963 धारा 5 – विलम्ब का शमन, एस.एल.पी. पेश करने में 481 दिनों का विलम्ब – आधार

राजस्व अपील प्राधिकारी

लिया कि पत्रावली के एक विभाग/अधिकारी से दूसरे में आने के कारण विलम्ब हुआ, पर्याप्त एवं ठोस आधार नही– विलम्ब शमन हेतु मामला नहीं बनता है।" इसी प्रकार आर0आर0टी0 2014 (2) पेज 1349 में माननीय राजस्व मण्डल की वृहद पीठ द्वारा यह व्यवस्था प्रदान की है कि "परिसीमा अधिनियम 1963 धारा 5, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, धारा 224 – अपील पेश करने में 9 वर्ष का विलम्ब – प्रथम अपील भी कालबाधित थी, प्रत्येक तारीख पर उपस्थित होकर अपने मामले की जानकारी रखना मुवक्किल का दायित्व है। वाद भी एकपक्षीय डिक्री हुआ, अपीलाण्ट के वकील को सुनने के बाद प्रथम अपील निर्णित की। विलम्ब हेतु सन्तोषप्रद स्पष्टीकरण नहीं, निर्णित, आवेदन व अपील खारिज होने योग्य है। उक्त समस्त न्यायिक सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा होते है। उपरोक्त न्याय सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत अपील का परीक्षण करने पर यह प्रकट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर मियाद शुमार करवाने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसमें ऐसा कोई यथोचित कारण दर्शित नहीं किया गया, जिस पर यह विश्वास किया जा सके। इस कारण अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर म्याद शुमार करवाने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रस्तुत स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है, जिसके स्वाभाविक परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट की अपील अवधि बाधित होने से खारिज की जाती है तथा सहायक कलक्टर सांचौर द्वारा राजस्व वाद संख्या 03/2010 बउनवान प्रवीण वगैरह बनाम अमरलाल

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

	वगैरह मे पारित निर्णय व डिक्री 22.02.2023 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे। राजस्व अपील प्राधिकारी पाली	